प्रेषक,

अपर शिक्षा निदेशक,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक/शिविर/ /15–क/मान्यता/2011–12 दिनांक 24/4/2012

विषय : <u>अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों को कक्षा–06 से कक्षा–08 तक "ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–266/xxiv-4/2009 देहरादून 10 जुलाई 2009 में निहित प्राविधानों/शर्तो के अधीन गठित मान्यता समिति की बैठक दिनांक 16.12.2011 को समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों को कक्षा–6 से कक्षा–8 तक "ब" श्रेणी की अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है तथा कक्षा संचालन हेतु निम्न विवरणानुसार पद अनुमन्य किये जाते है :–

क0 स0	संस्था का नाम	मान्यता की श्रेणी	अनुगन्य पदो का विवरण		अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
01	स्वामी विवेकानन्द एकेडमी चम्बा टिहरी गढ़वाल।	"ब"	पदनाम	संख्या	–
			प्रधानाध्यापक	01 (एक)	–
			सहायक अध्यापक	04 (चार)	एक पद विज्ञान एवं एक पद भाषा सहित।
			लिपिक	01 (एक)	–
			परिचारक	01 (एक)	–
			योगः–	07 (सात)	

<u>संस्था के प्रबन्धाधिकरण को निम्नाकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन करना अनिवार्य है :–</u>

01. संस्था में वित्तविहीन मान्यता के फलस्वरूप अनुगन्य पदो का समस्त व्ययभार प्रबन्धाधिकरण स्वयं अपने निजी स्रोतो से वहन करेगा। इन पदो पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक, प्रशिक्षण एंव आयु सम्बन्धी योग्यतायें तथा नियुक्ति सम्बन्धी प्रकिया उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम 2009 में दिये गये प्राविधानानुसार की जायेगी। साथ ही इस हेतु समय–समय पर जारी शासनादेशो एवं विभागीय आदेशो का पालन करना अनिवार्य होगा।
02. विद्यालय की सोसाइटी का नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत समय–समय पर कराया जाय।
03. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी/अधिकारी नहीं होगा।
04. विद्यालय में नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये स्थान सुरक्षित रखें जाय।
05. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा, जिसे डाकघर या अनुसूचित बैंको मे जमा किया जायेगा। विद्यालय के लेखे का आडिट नियमित रूप से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराये जाने की जिम्मेदारी प्रबन्धाधिकरण की होगी। भवन/शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप मे कोई भी धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।
06. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
07. विद्यालय में समस्त निधियों का लेखा जोखा नियमानुसार रखा जायेगा। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अपने शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारी को वही वेतनमान, मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार रहेगा जो समान अर्हता वाले राजकीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को प्राप्त हो रहे होंगे। शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान चैक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खातों में अंतरण किया जायेगा। विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापकों पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए। कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी।
08. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में परिषद् तथा विहत पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रीय के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
09. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्थाये उनका पालन करेगी।
10. विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी किया जा सकता है, तथा वह शिक्षा विभाग के नियमों और समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।
11. विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना विद्यालय भवन में कक्षा–01 से कक्षा–05 तक एवं कक्षा–09 तथा कक्षा–10 संचालित न किये जाय।
12. अप्रशिक्षित अध्यापकों को तीन वर्ष में प्रशिक्षित कर दिया जाय।
13. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागिरी लिपि हिन्दी होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी।
14. विद्यालय से उस क्षेत्र की वर्तमान संस्थाओं के स्तर तथा दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये।
15. सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत जो भी सूचना संस्था द्वारा मॉगी जायें, उसको संस्था को समायान्तर्गत उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. जिला शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बंद किया जायेगा और न खोला जायेगा और न समाप्त किया जायेगा व न ही स्थानान्तरित किया जायेगा।
17. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धक तथा उसके कार्य का प्रबन्ध करने वाले अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह विद्यालय शिक्षा अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों का तथा परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।
18. विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/ स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है, तो इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, या कोई तथ्य छुपाया गया हो तथा भविष्य में ज्ञात होने पर विभाग द्वारा उसकी मान्यता बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।

पृ0 सं0/शिविर/ 13172 /15–क/मान्यता/2011–12 दिनांक उक्तांकित।

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
6. सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
7. सम्बन्धित संस्था के प्रधानाध्यापक/प्रबंधक।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

24/4/12

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
टिहरी गढवाल–नरेन्द्रनगर ।

सेवामें,

प्रबन्धक स्वामी विवेकानन्द एकेडमी,
नियर टूरिस्ट गेस्ट हाउस टावर मोहल्ला,
ब्लॉक रोड़ चम्बा–टि0ग0 ।

पत्रांक शि0/ 11625-27 /2010–11 दिनांक 09/12/2010

विषय:– **स्वामी विवेकानन्द एकेडमी को स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र मेमो/म0/2010–11 दिनांक 29/10/2010 के कम में स्वामी विवेकानन्द एकेडमी नियर टूरिस्ट गेस्ट हाउस टावर मोहल्ला ब्लॉक रोड़ चम्बा टि0ग0 को सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं0 211860 के अधीन कक्षा 05 तक की स्थाई मान्यता निम्न प्रतिबंध एवं शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है ।

1– विद्यालय विभागीय आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा ।
2– विद्यालय विभाग/शासन द्वारा निर्धारित पाठयकमों में शिक्षण कार्य करेगा ।
3– छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क लिया जायेगा ।
4– प्रत्येक कक्षा एवं वर्ग के लिये अलग–अलग शिक्षण कक्ष होगा ।

उक्त शर्तों/निर्देशों का पालन न करने पर विद्यालय की स्थायी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी ।

भवदीय,
14/12

जिला शिक्षा अधिकारी,
टिहरी गढवाल–नरेन्द्रनगर ।

पृ0सं0 शि0/ /2010–11 दिनांक उक्तवत

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित ।

1– खण्ड शिक्षा अधिकारी चम्बा टि0ग0 ।
2– अपर जिला शिक्षा अधिकारी–बेसिक नई टिहरी, टि0ग0 ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
टिहरी गढवाल–नरेन्द्रनगर ।